

DAILY **CURRENT AFFAIRS**

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 26-09-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 26 Sep, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 02 Syllabus :GS 3 : Environment / Prelims	उत्तरप्रदेशके 50 फीसदी उद्योगों ने नियमों का उल्लंघन किया: रिपोर्ट
Page 06 Syllabus :GS 2 : International Relations / Prelims	भारत, रूसनेकृषि व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स अनाज विनिमय योजना पर चर्चा की
Page 08 Syllabus :GS 2 : Indian Polity/ Prelims	लद्दाखमेंअविश्वास: लोगों की वैध आकांक्षाओं को ध्यान में रखने की जरूरत है
Page 10 Syllabus :GS 3 : Environment / Prelims	भीषणदक्षिणमेंशीतलन अधिकार
Page 11 Syllabus :GS 2 : Indian Polity/ Prelims	नागरिक, अधिवास, प्रवासी: हमें प्रांतीय नागरिकता के बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए?
Page 08 : Editorial Analysis Syllabus :GS 3 : Indian Economy	अंतरराष्ट्रीयसीमाओंवालेआठ राज्य, निर्यात का 0.13%

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को दी अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि उत्तर प्रदेश में 50% से अधिक प्रदूषण प्रदूषण उद्योग (जीपीआई) प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं। नमामिगंगेजैसीचलरहीपरियोजनाओं और न्यायिक हस्तक्षेप के बावजूद, औद्योगिक अपशिष्ट गंगा प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। यह नियामक प्रवर्तन की प्रभावशीलता और सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है।

50% of U.P. industries flout norms: report on Ganga pollution

Nikhil M. Babu

NEW DELHI

In its recent report submitted to the National Green Tribunal, the Central Pollution Control Board (CPCB) stated that over 50% of the “operational” Grossly Polluting Industries (GPIs) in 62 districts of Uttar Pradesh were not in compliance with the government-stipulated pollution guidelines.

In July 2022, the Allahabad High Court directed the CPCB to test samples from industries in U.P. The board then formed 50 teams and undertook a surprise inspection of 1,370 GPIs, 36 Sewage Treatment Plants (STPs)

and eight Effluent Treatment Plants (ETPs) in the State, the report stated.

“Total of 1,370 inspection reports of GPIs (including 858 operational units and 512 non-operational units) have been prepared. Of the 858 operational GPIs, 415 were found complying and 443 are non-compliant with the norms,” the CPCB report dated September 17 read. It also mentioned that, of the 512 non-operational units, eight ETPs were found to be operational.

“Out of these eight units, four units have been found complying, whereas the remaining four units were found non-compliant,” the report stated.

CPCB रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष (सितंबर 2022-23 निरीक्षण)

- निरीक्षण किए गए उद्योग: 1,370 जीपीआई (858 परिचालन, 512 गैर-परिचालन)।
- अनुपालन स्थिति: 858 परिचालन जीपीआई में से केवल 415 (48%) ने प्रदूषण दिशानिर्देशों का अनुपालन किया; 443 (52%) ने मानदंडों का उल्लंघन किया।
- ईटीपी का निरीक्षण किया गया: 8 एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) में से 4 अनुपालन कर रहे थे, 4 गैर-अनुपालन कर रहे थे।
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी): 36 का निरीक्षण किया गया, कई खराब प्रदर्शन कर रहे हैं (रिपोर्ट में डेटा पूरी तरह से प्रकट नहीं किया गया है)।

स्थैतिक संबंध

1. **नमामिगंगे कार्यक्रम (2014)**
 - प्रदूषण के प्रभावी उपशमन, नदी कायाकल्प के लिए एकीकृत संरक्षण मिशन।
 - सीवेज उपचार, नदी की सतह की सफाई, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी, ग्रामीण स्वच्छता को कवर करता है।
 - जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा कार्यान्वित किया गया।
2. **सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**
 - जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत सांविधिक निकाय।
 - कार्य: पानी की गुणवत्ता की निगरानी करना, प्रदूषण मानकों को लागू करना, केंद्र और राज्यों को सलाह देना।
3. **एनजीटी (राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, 2010)**
 - पर्यावरण विवादों को संभालने के लिए विशेष न्यायिक निकाय।
 - गंगा प्रदूषण पर बार-बार कार्रवाई का निर्देश दिया है (इलाहाबाद हाईकोर्ट भी उत्तर प्रदेश के मामलों में सक्रिय है)।
4. **अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग (GPI)**
 - उद्योग >100 किलोग्राम/दिन जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) या >10,000 लीटर/दिन अपशिष्ट जल को नदियों में बहा रहे हैं।
 - प्रमुख क्षेत्र: चमड़े के कारखाने (कानपुर, उन्नाव), चीनी मिल, डिस्टिलरी, कागज और लुगदी, कपड़ा।

वर्तमान संदर्भ और विश्लेषण

1. **प्रवर्तन अंतर**
 - नमामिगंगे, न्यायिक निरीक्षण और नियामक निरीक्षणों के बावजूद, औद्योगिक अपशिष्टों पर अनियंत्रण बना हुआ है।
 - कमजोर प्रवर्तन, भ्रष्टाचार और पर्याप्त उपचार क्षमता की कमी को इंगित करता है।
2. **शहरी सीवेज बनाम औद्योगिक अपशिष्ट**
 - सीपीसीबी के आंकड़ों से पता चलता है कि गंगा प्रदूषण का 70-80 फीसदी से अधिक अनुपचारित सीवेज से होता है, लेकिन उद्योग जहरीली भारी धातुओं, रसायनों, टेनरी अपशिष्टों को जोड़ते हैं।
 - दोनों मिलकर नदी की बहाली को बेहद मुश्किल बना देते हैं।
3. **जवाबदेही के मुद्दे**
 - कई GPI बार-बार उल्लंघन के बावजूद परिचालन जारी रखते हैं।

- गैर-कार्यात्मक या खराब प्रदर्शन करने वाले एसटीपी/ईटीपी सार्वजनिक निवेश अक्षमता को दर्शाते हैं।

आगे की राह/सिफारिशें

- प्रवर्तन को मजबूत करना: स्वचालित दंड, वास्तविक समय अपशिष्ट निर्वहन डेटा के माध्यम से जीपीआई की सख्त निगरानी।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी: दक्षता के लिए एसटीपी/ईटीपी प्रबंधन में।
- न्यायिक निगरानी: एनजीटी और उच्च न्यायालयों को निरंतर निरीक्षण के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- प्रौद्योगिकी अपनाना: शून्य तरल निर्वहन (ZLD) और आधुनिक प्रवाह उपचार प्रणाली।
- सामुदायिक भागीदारी: स्थानीय समुदायों, नागरिक समाज को सतर्कता में शामिल होना चाहिए।
- समग्र दृष्टिकोण: सीवेज उपचार, औद्योगिक विनियमन, वनीकरण और जन जागरूकता को मिलाएं।

निष्कर्ष

सीपीसीबी की रिपोर्ट एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है: औद्योगिक गैर-अनुपालन भारत के प्रमुख नदी संरक्षण मिशन, नमामि गंगे को कमजोर करना जारी रखता है। जब तक नियामक प्रवर्तन, तकनीकी उन्नयन और शासन की जवाबदेही को मजबूत नहीं किया जाता, तब तक गंगा का कायाकल्प मायावी बना रहेगा। भारत के लिए, स्वच्छ नदियों को सुनिश्चित करना न केवल एक पारिस्थितिक आवश्यकता है, बल्कि एक संवैधानिक कर्तव्य (अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार) और SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) के तहत एक प्रतिबद्धता भी है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

- परियोजना/कार्यक्रम : संबद्ध मंत्रालय
1. नमामि गंगे : जल शक्ति मंत्रालय
 2. राष्ट्रीय हरित अधिकरण : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
 3. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- उपरोक्त में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर : c)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: बार-बार न्यायिक हस्तक्षेप के बावजूद, गंगा दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बनी हुई है। प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने में न्यायपालिका, सीपीसीबी और राज्य सरकारों की भूमिका पर चर्चा करें। (250 शब्द)

भारत और रूस ने हाल ही में नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कार्यक्रम के दौरान ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज के निर्माण पर चर्चा की है। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पेत्रुशेव द्वारा उठाए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वागत किए गए इस विचार का उद्देश्य ब्रिक्स सदस्यों के बीच कृषि व्यापार संबंधों को मजबूत करना है। यह पहल व्यापार कूटनीति के एक नए आयाम को दर्शाती है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को जलवायु परिवर्तन, संघर्षों और संरक्षणवादी उपायों के कारण व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है।

India, Russia discuss BRICS grain exchange plan to boost agriculture trade ties

Kallol Bhattacharjee

NEW DELHI

Prime Minister Narendra Modi met Russian Deputy Prime Minister Dmitry Patrushev here on Thursday and discussed plans of creating a common agricultural food exchange that will help in boosting agriculture trade among the BRICS member-countries. Mr. Modi conveyed his greetings to President Vladimir Putin saying he is looking forward to welcoming him for the 23rd India-Russia annual summit to be hosted here later this year.

“Happy to meet Russia’s Deputy Prime Minister Dmitry Patrushev at the World Food India 2025. We discussed ways to strengthen our win-win cooperation in agriculture, fertilizers and food processing,”



Trade diplomacy : Deputy Prime Minister of Russia Dmitry Patrushev with Prime Minister Narendra Modi at the World Food India 2025 program in New Delhi, on Thursday. DPR PMO

said Mr. Modi after the meeting.

The Russian Embassy said the two sides discussed the ongoing work on a Free Trade Agreement between India and the Eurasian Economic Union. “Additionally, the topic of creating a BRICS Grain Exchange was raised – a move that will help boost mutual agricultural trade,”

said the Embassy.

“Russia highly values its special and privileged partnership with India. India is one of Russia’s key allies in the international arena. Every year, Russian-Indian economic cooperation reaches impressive levels. In 2024, the trade turnover between our two countries reached a historic high,” said Mr. Patrushev.

बैठक की मुख्य विशेषताएं

- प्रतिभागी: पीएम मोदी और रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पेत्रुशेव।
- मुख्य एजेंडा: कृषि सहयोग, उर्वरक, खाद्य प्रसंस्करण।
- नया प्रस्ताव: सदस्य-देशों के बीच पारदर्शी, विश्वसनीय अनाज व्यापार की सुविधा के लिए ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज का निर्माण।

- अन्य चर्चाएं: भारत-यूरोशियन आर्थिक संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रगति।
- संदर्भ: 2024 में, भारत-रूस व्यापार कारोबार ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया, जिसका मुख्य कारण तेल, उर्वरक और रक्षा सहयोग था।

स्थैतिक संबंध

1. ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, + 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब जैसे नए सदस्य)
 - 2009 में गठित (मूल ब्रिक, 2010 में विस्तारित)।
 - फोकस: बहुपक्षीय व्यापार, वैश्विक संस्थानों में सुधार, दक्षिण-दक्षिण सहयोग।
 - नई पहल: ब्रिक्स बैंक (न्यू डेवलपमेंट बैंक), ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, स्थानीय मुद्रा व्यापार पर चर्चा।
2. अनाज व्यापार और वैश्विक संदर्भ
 - रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक है।
 - भारत चावल, गेहूं, दालों का एक प्रमुख उत्पादक है, लेकिन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्यात को प्रतिबंधित करता है।
 - खाद्य मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान (यूक्रेन युद्ध, जलवायु झटके) वैकल्पिक व्यापार प्लेटफार्मों को महत्वपूर्ण बनाते हैं।
3. भारत-रूस कृषि सहयोग
 - रूस: उर्वरकों, गेहूं, सूरजमुखी के तेल का प्रमुख आपूर्तिकर्ता।
 - भारत: चाय, चावल, समुद्री उत्पादों का निर्यात करता है।
 - दोनों खाद्य प्रसंस्करण और कृषि-तकनीक में संयुक्त उद्यमों की खोज कर रहे हैं।

वर्तमान संदर्भ और विश्लेषण

1. भू-राजनीतिककोण
 - यूक्रेनयुद्धकेबादपश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण रूस भारत के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध चाहता है।
 - ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज पश्चिमी-नियंत्रित व्यापार प्लेटफार्मों और डॉलर-आधारित लेनदेन पर निर्भरता को कम करेगा।
2. भारत के हित
 - अपने 1.4 बिलियन लोगों के लिए उर्वरक और अनाज सुरक्षा सुनिश्चित करना।
 - पश्चिमी बाजारों से परे व्यापार में विविधता लाना, दक्षिण-दक्षिण सहयोग के साथ संरेखित करना।
 - रणनीतिक स्वायत्तता को संतुलित करना - अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ जुड़ते हुए रूस के साथ संबंधों को गहरा करना।
3. आर्थिक क्षमता
 - एक अनाज विनिमय मूल्य पारदर्शिता, स्थिर आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा सहयोग ला सकता है।
 - हालांकि, चुनौतियां बनी हुई हैं - भारत ने घरेलू उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए गेहूं/चावल पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया है, जो भागीदारी को सीमित कर सकता है।

चुनौतियों

- कृषि निर्यात नीतियों को अलग करना (भारत के प्रतिबंध बनाम रूस का अधिशेष)।
- प्रतिस्पर्धी खाद्य सुरक्षा प्राथमिकताओं के साथ ब्रिक्स के विविध सदस्यों के बीच समन्वय।
- बुनियादी ढांचा और रसद बाधाएं (बंदरगाह, शिपिंग, भंडारण)।
- वैश्विक आलोचना: इसे विश्व व्यापार प्रणालियों को खंडित करने के रूप में देखा जा सकता है।

आगे की राह

- भारत को उर्वरक सुरक्षा, कृषि-तकनीक विनिमय और खाद्य प्रसंस्करण निवेश के लिए मंच का लाभ उठाना चाहिए।
- ब्रिक्स के भीतर रुपया-रुबल या स्थानीय मुद्रा व्यापार को बढ़ावा देना।
- घरेलू खाद्य सुरक्षा और निर्यात प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन।
- ग्लोबल साउथ के लिए खाद्य पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बहुपक्षीय दक्षिण-दक्षिण व्यापार संस्थानों को मजबूत करना।

निष्कर्ष

ब्रिक्स अनाज विनिमय का प्रस्ताव उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक व्यापार संरचना को नया आकार देने के प्रयास को दर्शाता है, विशेष रूप से भू-राजनीतिक अशांति और खाद्य संकट के सामने। भारत के लिए, यह महत्वपूर्ण कृषि-आयात को सुरक्षित करने का अवसर है और खुद को एक जिम्मेदार खाद्य प्रदाता के रूप में पेश करने के लिए एक मंच है। इस पहल की सफलता विविध सदस्य हितों में सामंजस्य स्थापित करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाने पर निर्भर करेगी।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: ब्रिक्स समूह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स द्वारा शंघाई में मुख्यालय के साथ की गई थी।
2. आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था का उद्देश्य भुगतान दबावों के अल्पकालिक संतुलन के जवाब में तरलता और एहतितायी उपकरणों के माध्यम से सहायता प्रदान करना है।
3. 2025 में, ब्रिक्स ने कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनाज विनिमय के विचार पर चर्चा की।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: प्रस्तावित ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज आर्थिक सहयोग और भू-राजनीतिक रणनीति दोनों को दर्शाता है। भारत की खाद्य सुरक्षा और विदेश नीति के लिए इसके निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। (150 शब्द)

Page 08 : GS 2 : Indian Polity/ Prelims

लद्दाख में हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन (सितंबर 2025) स्थानीय लोगों और केंद्र के बीच गहराते अविश्वास को उजागर करते हैं। नौकरी में आरक्षण, अधिवास नियम और सांस्कृतिक मान्यता देने वाले पहले के समझौतों के बावजूद, राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची को शामिल करने, नौकरी की गारंटी और अधिक राजनीतिक स्वायत्तता की मांग अनसुलझी है। चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगा लद्दाख का रणनीतिक स्थान, इसकी नाजुक पारिस्थितिकी और अद्वितीय सांस्कृतिक विविधता के साथ, स्थिति को संवेदनशील और जटिल बनाता है।

वर्तमान संदर्भ में मुद्दे

- 24 सितंबर: हिंसा: लेह में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया; 4 की मौत, भाजपा कार्यालय और हिल काउंसिल मुख्यालय में तोड़फोड़ की गई।
- **विरोध की मांग:**
 1. लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा।
 2. जनजातीय स्वायत्तता के लिए छठी अनुसूची को शामिल करना।
 3. स्थानीय लोगों के लिए नौकरी का आरक्षण।
 4. अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व।
- **नागरिक समाज समूह:**
 - लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) – बौद्ध-बहुल लेह।
 - कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) – मुस्लिम बहुल कारगिल।
 - मतभेदों के बावजूद, दोनों चार-सूत्री एजेंडे में एकजुट हुए।

मई 2025 समझौता: 95% स्थानीय नौकरी कोटा, पहाड़ी परिषदों में 33% महिला आरक्षण, सख्त अधिवास, स्थानीय भाषाओं की मान्यता।

हिंसा के लिए ट्रिगर: भूख हड़ताल करने वाले बुजुर्ग कार्यकर्ताओं (सोनम वांगचुक सहित) को अस्पताल में भर्ती।

स्थैतिक संबंध

1. लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश (2019) के रूप में बनाया गया - अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर से अलग किया गया। सीधे केंद्र द्वारा शासित है।
2. संविधान की छठी अनुसूची – पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा) में आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करती है। लद्दाख में भूमि, संस्कृति और नौकरियों की समान सुरक्षा की मांग है।
3. लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएचडीसी) – लेह (1995) और कारगिल (2003)। सीमित शक्तियां; मुख्य मांग मजबूत विधायी/प्रशासनिक प्राधिकरण की है।

Mistrust in Ladakh

Legitimate aspirations of a people need to be taken into account

The festering unrest in the Union Territory of Ladakh turned violent on September 24, which resulted in the deaths of four persons and several others being injured. In the eyes of the Centre, the protest leaders had acted in bad faith even as efforts were underway to address their long-standing demands. These are the demands for Ladakh, inclusion under the Sixth Schedule of the Constitution (which grants autonomy to tribal areas), reservation in jobs for locals, and greater political representation. The protest leaders and organisations at the forefront of the agitation have, however, said that the arson and violence were carried out by those outside the control. The protesters and the Centre have appealed to the youth of Ladakh to remain calm. The Ladakh protests have been championed by two major civil society coalitions – the Leh Apody (LAB), representing Buddhist-majority Leh and the Kargil Democratic Alliance (KDA), representing Muslim-majority Kargil. While these groups do have many disagreements, they are united in a four-point agenda for constitution: safeguards and greater political autonomy for the region. On Wednesday, a shutdown called by the youth wing of LAB turned violent in Leh, which included the burning of the office of the Bharat Janata Party and the vandalising of the headquarters of the Ladakh Autonomous Hill Development Council (LAHDC).

The Centre and these outfits had reached an agreement in May 2025, which seemingly addressed core concerns through measures such as 5% reservation in jobs for locals (including ST and EWS), 33% reservation for women in the Hill Development Council, strict domicile criteria and recognition of local languages such as Bhotkuri, Balti and Shina. However, on September 23, the hospitalisation of two elderly protesters who were on a hunger strike with climate activist Sonam Wangchuk, triggered a fresh round of public protest mostly led by youth. The Centre now alleges that Mr. Wangchuk is instigating violence. While a resolution to all demands has been in the works, the Centre has also hinted at the involvement of foreign elements. There is evidently a gap between the perceptions of the protesters and the Centre on both the issues at hand and the way forward. Ladakh is a sensitive security spot for the country. This makes it all the more important that the people of the region are taken into confidence even while troublemakers are brought under control. The legitimate aspirations of the people can be addressed without

4. सामरिक महत्व –

- सीमाएं: चीन (अक्साई चीन), पाकिस्तान (गिलगित-बाल्टिस्तान)।
- सैन्य: भारत-चीन गतिरोध के लिए प्रमुख तैनाती क्षेत्र।
- पारिस्थितिकी: ठंडा रेगिस्तान, जलवायु-संवेदनशील क्षेत्र।

स्थिति का विश्लेषण

1. केंद्र का दृष्टिकोण: विरोध करने वाले नेता "बुरे विश्वास" में काम कर रहे हैं, बाहरी / विदेशी तत्वों द्वारा उकसाई गई हिंसा।
2. प्रदर्शनकारियों का दृष्टिकोण: केंद्र प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं कर रहा है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और हाशिए परजानेकांडर।
3. विश्वास की कमी: समझौतों (आरक्षण, अधिवास) के बावजूद, राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची के सुरक्षा उपायों की मुख्य मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है।
4. सुरक्षा आयाम: एक सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते, लद्दाख को मजबूत केंद्रीय नियंत्रण की आवश्यकता है। अत्यधिक स्वायत्तता को प्रतिष्ठान द्वारा सुरक्षा जोखिम के रूप में देखा जा सकता है।
5. सामाजिक-राजनीतिक एकता: लेह के बौद्ध समूहों और कारगिल के मुस्लिम समूहों के बीच साझा एजेंडे पर दुर्लभ सहयोग जमीनी स्तर पर गहरे असंतोष का संकेत देता है।

आगे की राह

- संवाद और विश्वास-निर्माण: केंद्र को समावेशी वार्ता में एलएबी, केडीए और नागरिक समाज के नेताओं के साथ जुड़ना चाहिए।
- संवैधानिक सुरक्षा: राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बिना विशेष प्रावधानों (जैसे छठी अनुसूची या अनुच्छेद 371 जैसी व्यवस्था) का पता लगाएं।
- संतुलित स्वायत्तता: LAHDC को अधिक वित्तीय और विधायी अधिकार के साथ सशक्त बनाना।
- युवा जुड़ाव: शिक्षा, नौकरियों, पारिस्थितिक आजीविका संबंधी चिंताओं को संबोधित करके अलगाव को रोकें।
- सुरक्षा + विकास दृष्टिकोण: लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के साथ रणनीतिक सुरक्षा अनिवार्यताओं को एकीकृत करना।

निष्कर्ष

लद्दाख की अशांति सीमांत क्षेत्रों पर शासन करने की चुनौतियों को रेखांकित करती है जहां भू-राजनीतिक संवेदनशीलता स्थानीय आकांक्षाओं के साथ प्रतिच्छेद करती है। हालांकि भारत इस तरह के अस्थिर सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता है, लेकिन लोगों की वैध लोकतांत्रिक मांगों की अनदेखी करने से दीर्घकालिक अस्थिरता का खतरा है। एक सुविचारित दृष्टिकोण – संवैधानिक ढांचे के भीतर स्वायत्तता, प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना – शांति, स्थिरता और लद्दाख को भारत की लोकतांत्रिक मुख्यधारा में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पूर्वोत्तर के कुछ जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान करता है।
2. संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करने की शक्ति है।
3. लद्दाख पहले से ही छठी अनुसूची के तहत शामिल है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: लद्दाख में चल रहे विरोध प्रदर्शन स्थानीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यताओं के बीच तनाव को प्रकट करते हैं। इस मुद्दे के समाधान के लिए उपलब्ध संवैधानिक और शासन विकल्पों पर चर्चा करें। **(150 शब्द)**

जलवायु परिवर्तन से बढ़ी अत्यधिक गर्मी, ग्लोबल साउथ में सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और विकास चुनौतियों में से एक के रूप में उभर रही है। ऊर्जा-कुशल एयर कंडीशनिंग (24 डिग्री सेल्सियस पर डिफॉल्ट सेटिंग) पर भारत में हालिया बहस ऊर्जा संरक्षण लक्ष्यों और शीतलन तक सार्वभौमिक पहुंच की तत्काल आवश्यकता के बीच तनाव पर प्रकाश डालती है। कमजोर आबादी के लिए, शीतलन अब एक विलासिता नहीं है, बल्कि जीवन बचाने, आजीविका की रक्षा करने और जलवायु न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक अग्रणी अनुकूलन उपाय है।

Cooling rights in a sweltering South

Access to air conditioning is currently severely limited in developing countries, including in India. Enhancing this access is urgently required as a public health safeguard and a necessity for adaptation to climate change. Cooling is no longer a matter of comfort for the global South, but a frontline adaptation need

EXPLAINER

Ankita Ranjan

In June 2025, the Government of India (GoI) proposed that all new air conditioning systems (ACs) in homes, commercial spaces and vehicles must operate within the temperature range of 20°C to 28°C, with 24°C as the default setting. The Bureau of Energy Efficiency (BEE) estimates that this proposal could save 20 billion units of energy annually, amounting to ₹10,000 crores and emissions reduction of 16 million tonnes. While such energy-saving measures are important there are more fundamental issues that need to be addressed. Access to air conditioning is currently severely limited in developing countries, including India. Enhancing this access is urgently required as a public health safeguard and a necessity for adaptation to climate change. By treating cooling primarily as an energy and emissions concern, the need to universalise access to cooling and provision of public facilities that can protect vulnerable populations from heat stress often gets sidelined.

In India, access to air conditioning remains severely inadequate, and the main challenge is insufficiency. Cooling is no longer a matter of comfort for the global South, but a frontline adaptation need. In 2021, only 13% of urban and 1% of rural households in India owned an AC. While efficiency and behavioural measures can reduce the emissions footprint of existing users, without simultaneously prioritising access to the most vulnerable, such policies risk becoming symbolic gestures that are ineffective in confronting deeper inequities at the heart of climate justice.

While the national average of AC ownership in India is approximately 5%, it is overwhelmingly concentrated amongst the urban rich. In 2021, the richest 10% in India, mostly residing in urban areas, owned 72% of the total ACs.

This disparity is also reflected in



The per capita electricity consumption for space cooling is 7 GJ in the U.S., which is over 28 times higher than in India, 19 times higher than in Indonesia and 13 times higher than in Brazil. FILE PHOTO

interstate and regional differences.

The inter-country cooling divide is even more stark and inequitable. Developed countries have long enjoyed near universal access to thermal comfort, primarily through widespread heating systems, but more recently through the increased adoption of air conditioning. In 2020, nearly 90% households in the U.S. and Japan owned an AC, as compared to 22% in Central and South America and only 6% in Sub-Saharan Africa. The per capita electricity consumption for space cooling is 7 GJ in the U.S., which is over 28 times higher than in India, 19 times higher than in Indonesia and 13 times higher than in Brazil.

During the European heatwave, which peaked around 42°C in cities like London and Paris, urgent public investments were made in cooling infrastructure, with the current AC ownership doubling in Europe since 1990, and the International Energy Agency (IEA) projecting a four-fold increase by 2050. While several major cities in the global South routinely record temperatures above 40°C, the international discourse around their rising cooling demand is widely framed as a mitigation problem, while it is justified

as a necessary adaptation measure for the North, indicating a troubling hypocrisy.

The Imperative of cooling

The World Health Organization (WHO) estimates that between 2000 and 2019, heat exposure contributed to approximately 489,000 global deaths, with India alone recording more than 20,000 heat-related deaths in this period. While extreme heat is increasingly recognised as one of the prominent health threats in the global South, the resulting mortality or morbidity rate is not solely a function of rising temperatures. It in fact reflects the acute shortage of protective infrastructure such as thermally secured housing, reliable electricity supply and adequately equipped public health systems. In 2022, the majority of the health care facilities in high-income countries had a reliable power supply, whereas nearly one billion people in the lower-middle and low-income countries were served by facilities with unreliable or no power supply.

In South Asia and Sub-Saharan Africa (SSA), 12% and 15% health centres, respectively, had no electricity, while only

50% hospitals in SSA reported having a reliable power supply.

Without adequate energy infrastructure, providing essential services such as neonatal care, climate-controlled emergency rooms, and vaccine refrigeration becomes precarious as they rely on stable cooling systems. During periods of extreme heat, countries like Kenya, Ghana and Burkina Faso have recorded sharp spikes in cardiovascular, respiratory and renal conditions that cannot be treated safely in overheated and underpowered facilities. Beyond hospitals, the lack of cooling access also undermines workplace safety and labour productivity.

In India, almost 80% of the labour force is engaged in sectors such as agriculture, construction and street vending; jobs that require strenuous outdoor activities. Recognising this vulnerability, several Indian States and cities have developed Heat Action Plans (HAPs) that include early warning systems, information sharing, heat shelters and public awareness campaigns. However, their implementation is often constrained due to underfunding, limited institutional coordination and weak legal foundations. Addressing these intersecting challenges in the global South requires an urgent need to integrate heat resilience as a core development priority through policies that focus on stronger labour protection, targeted social safety nets and comprehensive heat action plans.

As low-income nations already face staggering challenges due to economic and energy poverty, without large-scale investments in public infrastructure and access to finance from the North, cooling will remain unaffordable for billions in the South. Closing this gap is important to prevent avoidable deaths, protect livelihoods and build climate-resilient public systems. Therefore, cooling must not be treated as a climate liability to be rationed, but as a non-negotiable development right that is crucial for strengthening equity and enabling adaptation.

THE GIST

▼ In 2020, nearly 90% of households in the U.S. and Japan owned an AC, compared to 22% in Central and South America and only 6% in Sub-Saharan Africa

▼ In India, the national average of AC ownership is around 5%, concentrated mostly among the urban rich

▼ The World Health Organization estimates that between 2000 and 2019, heat exposure caused approximately 489,000 deaths globally

प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया

- पहुंच असमानता: भारत में, केवल 5% परिवारों के पास एसी (13% शहरी, 1% ग्रामीण) हैं; स्वामित्व सबसे अमीर 10% की ओर झुका हुआ है।
- वैश्विक विभाजन: अमेरिका और जापान में ~90% घरों में एसी हैं, जबकि उप-सहारा अफ्रीका में केवल 6% हैं।

- स्वास्थ्य प्रभाव: WHO का अनुमान है कि गर्मी के संपर्क में आने के कारण वैश्विक स्तर पर ~489,000 मौतें (2000-2019); भारत में गर्मी से संबंधित 20,000 से अधिक मौतें दर्ज की गईं।
- श्रमभेद्यता: भारतकी 80% श्रम शक्ति कृषि, निर्माण और वेंडिंग जैसे बाहरी गर्मी के संपर्क में आने वाले क्षेत्रों में काम करती है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में अंतराल: दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में 12-15% स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली की कमी है; केवल ~ 50% एसएसए अस्पतालों में विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति है।
- नीति प्रतिक्रिया: हीट एक्शन प्लान (एचएपी) कुछ भारतीय राज्यों में मौजूद हैं, लेकिन कमजोर फंडिंग और खराब कार्यान्वयन से पीड़ित हैं।

स्थैतिक संबंध

1. जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी, 2008) - इसमें ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और अनुकूलन पर मिशन शामिल हैं।
2. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (आईसीएपी, 2019) - टिकाऊ कूलिंग पर पहली देश-स्तरीय रणनीति; सभी क्षेत्रों में सस्ती और टिकाऊ कूलिंग पहुंच का लक्ष्य है।
3. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) - ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत सांविधिक निकाय; स्टार लेबलिंग और एसी दक्षता मानकों को अनिवार्य करता है।
4. हीट एक्शन प्लान (एचएपी) - हीट शेल्टर, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जलयोजन बिंदुओं सहित स्थानीय अनुकूलन उपाय।
5. एसडीजी लिंकेज - एसडीजी 3 (अच्छा स्वास्थ्य), एसडीजी 7 (सस्ती स्वच्छ ऊर्जा), एसडीजी 13 (जलवायु कार्रवाई), एसडीजी 10 (असमानता को कम करना)।

वर्तमान संदर्भ और विश्लेषण

- समानता और जलवायु न्याय: विकसित देश अनुकूलन के रूप में अपनी कूलिंग जरूरतों को उचित ठहराते हुए दक्षिण में कूलिंग डिमांड को "शमन बोझ" के रूप में फ्रेम करते हैं। यह वैश्विक पाखंड को उजागर करता है।
- ऊर्जा बनाम स्वास्थ्य दुविधा: 24 डिग्री सेल्सियस पर एसी डिफॉल्ट सेट करने जैसी नीतियां ऊर्जा की बचत कर सकती हैं, लेकिन कमजोर समूहों के बीच पहुंच की कमी को दूर करने में विफल रहती हैं।
- उत्पादकता हानि: बढ़ती गर्मी श्रम उत्पादकता को कम करती है, जिससे गरीबों के लिए आर्थिक भेद्यता बढ़ जाती है।
- बुनियादी ढांचे में अंतर: विश्वसनीय शीतलन के बिना अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र नवजात देखभाल और वैक्सीन भंडारण सहित बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल को कमजोर करते हैं।
- वित्तपोषण और उत्तर-दक्षिण विभाजन: जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बिना, दक्षिण शीतलन अंतर को पाट नहीं सकता है।

आगे की राह

1. कूलिंग को अधिकार के रूप में सार्वभौमिक बनाएं - सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक समानता के हिस्से के रूप में थर्मल आराम तक पहुंच को पहचानें।
2. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (आईसीएपी) को मजबूत करना - सुनिश्चित करना कि सस्ती कूलिंग प्रौद्योगिकियां ग्रामीण और गरीब आबादी तक पहुंचें।

3. सार्वजनिक बुनियादी ढांचा निवेश - गर्मी आश्रय, ग्रीन हाउसिंग, विश्वसनीय अस्पताल शीतलन और कार्यस्थल सुरक्षा कानून विकसित करना।
4. अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त - कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुकूलन वित्तपोषण का समर्थन करने के लिए विकसित देशों पर दबाव डालें।
5. ऊर्जा-कुशल नवाचार - निष्क्रिय शीतलन, हरित भवनों, जिला शीतलन प्रणालियों और नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाले एसी को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

शीतलन अब विलासिता या आराम का मामला नहीं है - यह जलवायु परिवर्तन के युग में एक विकास अधिकार और जीवित रहने की आवश्यकता है। भारत और ग्लोबल साउथ के लिए, कूलिंग तक समान पहुंच सुनिश्चित करना ऊर्जा दक्षता के साथ-साथ चलना चाहिए। नीतियों को केवल शमन प्रकाशिकी से ध्यान अनुकूलन न्याय पर केंद्रित करना चाहिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य, श्रम सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की योजना में शीतलन को एकीकृत करना चाहिए। शीतलन विभाजन को पाटना जलवायु-लचीला और न्यायसंगत भविष्य बनाने के लिए केंद्रीय है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : भारत की शीतलन नीतियों और चुनौतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (आईसीएपी) का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और अनुकूलन आवश्यकताओं दोनों को लक्षित करते हुए शीतलन तक टिकाऊ और सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना है।
2. भारत में, 2021 तक 15% से कम शहरी परिवारों और 5% से कम ग्रामीण परिवारों के पास एयर कंडीशनर थे।
3. भारत में हीट एक्शन प्लान (एचएपी) मुख्य रूप से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के तहत लागू किए जाते हैं।
4. विकसित देश अनुकूलन की आवश्यकता के रूप में उच्च शीतलन मांग को उचित ठहराते हैं, जबकि ग्लोबल साउथ में बढ़ती कूलिंग मांग को मुख्य रूप से शमन समस्या के रूप में तैयार करते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 1, 2 और 4
- (c) केवल 2 और 4
- (d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: (b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: शीतलन केवल एक आराम नहीं है बल्कि ग्लोबल साउथ में एक अनुकूलन है। भारत की जलवायु कमजोरियों और नीतिगत ढांचे के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण करें। (150 शब्द)

प्रांतीय नागरिकता का उद्भव भारत में देशवादी और उप-राष्ट्रवादी राजनीति के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। राष्ट्र के बजाय एक राज्य से भावनात्मक संबंध में निहित, यह अनुच्छेद 15, 16 और 19 के तहत "एक राष्ट्र, एक नागरिकता" के संवैधानिक आदर्श को चुनौती देता है। अधिवास-आधारित अधिकारों को प्राथमिकता देकर, यह प्रवृत्ति नागरिकता, प्रवासन और राजनीतिक भागीदारी के बीच संबंधों को फिर से परिभाषित करती है, जिससे आंतरिक प्रवासियों के अधिकारों और भारतीय लोकतंत्र की समावेशिता के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं।



Citizens, domicile, migrants: Why should we worry about Provincial Citizenship?

Provincial citizenship emerges from nativist politics rooted in an emotional belonging to a State, which gains immediate leverage in regional electoral politics. It challenges the idea of singular Indian citizenship, sparking debates over definitions of 'native', 'indigenous', 'Adivasi', 'local', or 'son of the soil'.

Swatahsiddha Sarkar

Ranjan, A. (2025). Provincial Citizenship: Jharkhand Domicile, Migration and Politics of Scale. *Studies in Indian Politics*, forthcoming (published online, September 2025).

Mobility in its many forms has long been considered core to the notion of progress and the formation of civilisation. Conversely, sedentarism – the practice of living in one place – emerges from the need to link property, descent, and lineage to the control of resources. World history is replete with the caravan trails of tribes, pastoralists, traders, and soldiers. This historical context of mobility is reinforced by today's global networks, which facilitate a new world defined by the flow of not only goods, services, and capital but also labour. This, of course, alludes to globalisation – a force that has affected our social, cultural, political, and economic standpoints, as well as our very perspectives and identities.

A matter of concern

Given this backdrop, it's curious that while the idea of mobility has expanded, our physical mobility often remains restricted, particularly when it comes to seeking livelihoods outside one's home State. Despite the precarity of migrant workers becoming painfully evident during the COVID-19 pandemic, Indian metropolises remain the most coveted destinations for destitute rural workers from different States.

More recently, in the wake of the National Register of Citizens (NRC) updation and the Special Intensive Revision (SIR) of Electoral Rolls, the mistreatment of migrant labour in various cities has become a matter of national

debate and anxiety. While there has been an upsurge of a media-fed 'public mood', the 'public mind' needs to be nudged toward a deeper engagement with complex issues like inter-state migration. In this regard, it's worth reflecting on provocative discussions in academic forums where fresh insights, such as "provincial citizenship" (a term pitched by Alok Ranjan, a PhD candidate at JNU), are sparking deep reflection. Following Ranjan's lead, it is meaningful to explore the idea of inter-state migration for a broader audience, especially for those who might think this issue only concerns the directly affected or the policymakers tasked with providing relief.

Ranjan's work reflects on inter-State migration and how it has drafted a new chapter in the "politics of domicile" within India's democratic body politic, though this operates only at the provincial level. "Provincial citizenship" emerges from nativist politics rooted in an emotional belonging to a State, which gains immediate leverage in regional electoral politics. In the process, the entanglement of spatial identity, freedom of movement, and citizenship allows domicile to surface as a new category for political mobilisation. Crucially, these tendencies accentuate the significance of States as sites of citizenship, even at a time when a more inclusive, national-level citizenship is being emphasised as the fulcrum of *Akhanda Bharat* (Undivided India).

Following Ranjan, we see that a close scrutiny of States like Jharkhand, Jammu and Kashmir (J&K), and Assam can help us understand how domicile becomes a potent political instrument. In J&K, domicile policies were implemented after the 2019 abrogation of its special status as a measure of inclusive politics to

safeguard minorities (like the Valmiki, Gorkhas, and West Pakistan refugees). Jharkhand, however, represents a case where domicile was used to articulate majoritarian grievances against the perceived influence of a minority elite in a State formed in 2000. Backed by its unique history, the politics of domicile in Jharkhand departs from the norms seen in Sixth Schedule regions. It tends to encompass the whole State, superseding the nation's federal structure and questioning the national citizenship rights guaranteed by Article 16(2) of the Indian Constitution.

Attaining statehood did not resolve sub-nationalist politics in Jharkhand. Instead, these sentiments were channelled into a democratic politics of domicile after 2000. This transition challenges the "one nation, one citizenship" ideal. Here, the notion of a single national citizenship is undermined by the efficacy of the unofficially constructed idea of provincial citizenship, whose political importance can render the national framework inadequate.

Jharkhand's experience also suggests that conflicts between the interests of internal migrants and the concerns of provincial citizenship cannot be democratically adjudicated within the existing political structure, often requiring the Supreme Court's intervention.

The newness of an old idea

This "unofficial" provincial citizenship problematises the official idea of a singular Indian citizenship. It creates a contest over definitions of 'native', 'indigenous', 'Adivasi', 'local', or 'son of the soil' that exist alongside the identity of an Indian citizen.

The problem of internal migrants in

provincial contexts is not new. Myron Weiner, in his book *Sons of the Soil: Migration and Ethnic Conflict in India* (1978), was perhaps the first to assess the social and political consequences of internal migration in States like Maharashtra, Bihar, and Assam. More recent coinages like "citizen-outsiders" (Roy 2010), "differentiated citizenship" (Joyal 2013), and "paused citizens" (Sharma 2024) "hyphenated nationality" (Sarkar 2025) have enriched our vocabulary for analysing this issue.

It is also relevant to consider the recommendations of the States Reorganisation Commission (SRC) of 1955. The members of the SRC anticipated the problems of discrimination and exclusion arising from domicile policies. They were greatly concerned about these rules, finding them inconsistent with Articles 15, 16, and 19 of the Constitution and contrary to the very concept of Indian citizenship. The members stated: "We do not feel called upon to pronounce on the purely legal aspects of these restrictions, but we have no doubt whatsoever that their total effect is the exact opposite of what was intended by the Constitution" (SRC Report 1955, p. 230).

The SRC Report recommended that domicile rules should be replaced by appropriate Parliamentary legislation, warning that "Otherwise, the concept of a common Indian citizenship would have no meaning" (pp. 230-231). In many respects, the concept of provincial citizenship echoes these decades-old warnings. Its newness lies in how this concept has transcended the passivity of a written report to become an active and grave reality. (Swatahsiddha Sarkar teaches at the Centre for Himalayan Studies, University of North Bengal, Darjeeling, West Bengal)

प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया

1. परिभाषा और उद्भव:

- प्रांतीय नागरिकता अधिवास या स्थानीय पहचान के आधार पर राजनीतिक और आर्थिक विशेषाधिकार प्रदान करती है, जो 'मूल निवासियों' को आंतरिक प्रवासियों से अलग करती है।
- क्षेत्रीय चुनावी राजनीति में लोकप्रियता हासिल की और स्थानीय भावनाओं को लामबंद किया।

2. मामले का अध्ययन:

- झारखंड: 2000 के बाद, कथित अल्पसंख्यक अभिजात वर्ग के खिलाफ बहुसंख्यक हितों की रक्षा के लिए अधिवास नियमों का इस्तेमाल किया गया; प्रांतीय नागरिकता राष्ट्रीय नागरिकता को कमजोर करती है।
- जम्मू और कश्मीर: 2019 के बाद अल्पसंख्यक समावेशिता के लिए अधिवास मानदंड तैयार किए गए हैं।
- असम और उत्तर-पूर्व: लंबे समय से चली आ रही "धरती के पुत्रों" की बहस, एनआरसी और नागरिक-बाहरी मुद्दे।

3. ऐतिहासिक संदर्भ:

- मायरोन वेनर (1978) ने आंतरिक प्रवासन से जातीय संघर्षों पर प्रकाश डाला।
- राज्य पुनर्गठन आयोग (1955) ने चेतावनी दी कि सख्त अधिवास नियम भारतीय नागरिकता की अवधारणा को कमजोर कर सकते हैं।
- हाल की छात्रवृत्ति इन तनावों का वर्णन करने के लिए "विभेदित नागरिकता", "रुके हुए नागरिक," और "हाइफ्रनेटेड राष्ट्रीयता" जैसे शब्दों का परिचय देती है।

4. समकालीन चिंताएँ:

- आंतरिक प्रवासियों को रोजगार, शिक्षा और राजनीतिक अधिकारों में भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।
- प्रांतीय नागरिकता राज्यों को निवास-आधारित अधिकारों पर अर्ध-संप्रभु अधिकार देकर संघीय संतुलन को चुनौती देती है।
- राष्ट्रीय और प्रांतीय दावों के बीच संघर्षों को हल करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप (सर्वोच्च न्यायालय) की आवश्यकता हो सकती है।

स्थैतिक संबंध

- अनुच्छेद 15, 16, 19 – समानता, रोजगार अधिकार और आंदोलन की स्वतंत्रता।
- एनआरसी और एसआईआर - नागरिकता सत्यापन के संबंध में चिंताओं के लिए हाल ही में ट्रिगर।
- राज्य पुनर्गठन आयोग (एसआरसी, 1955) - अनुशंसित अधिवास नियमों को राष्ट्रीय नागरिकता को ओवरराइड नहीं करना चाहिए।
- मृदा पुत्र - महाराष्ट्र, बिहार, असम; उप-राष्ट्रवादी राजनीति की ऐतिहासिक मिसाल।

वर्तमान संदर्भ और विश्लेषण

- आर्थिक विकास, शहरीकरण और श्रम आपूर्ति के लिए आंतरिक प्रवास आवश्यक है।
- प्रांतीय नागरिकता प्रवासियों को हाशिए पर डाल सकती है, शहरी अर्थव्यवस्थाओं और सामाजिक सामंजस्य को प्रभावित कर सकती है।

- क्षेत्रवादी राजनीतिक बयानबाजी में वृद्धि "बाहरी" के बारे में सार्वजनिक चिंता को बढ़ावा देती है, जिससे ध्रुवीकरण और संघर्ष का खतरा होता है।
- संघवाद और लोकतांत्रिक समावेशिता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकता के साथ प्रांतीय पहचान को संतुलित करना महत्वपूर्ण है।

आगे की राह

1. कानूनी सुरक्षा उपाय - अनुच्छेद 16(2) और 19(1)(d) के तहत आंतरिक प्रवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करना।
2. नीति सामंजस्य - राज्यों को अधिवास नीतियों को राष्ट्रीय नागरिकता अधिकारों के साथ संरेखित करना चाहिए।
3. न्यायिक निरीक्षण - प्रांतीय और राष्ट्रीय दावों के बीच संघर्षों का फैसला करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय।
4. जन जागरूकता और नागरिक शिक्षा - राष्ट्रीय विकासात्मक अनिवार्यता के रूप में आंतरिक प्रवासन की समझ को बढ़ावा देना।
5. समावेशी राजनीति - राजनीतिक दलों को प्रवासी अधिकारों को कमजोर करने वाली देशवादी लामबंदी का विरोध करना चाहिए।

निष्कर्ष

प्रांतीय नागरिकता भारत में क्षेत्रीय पहचान और संवैधानिक नागरिकता के बीच तनाव को दर्शाती है। जबकि राज्यों के पास स्थानीय संस्कृति और संसाधनों की सुरक्षा में वैध हित हैं, विशेष अधिवास-आधारित विशेषाधिकार राष्ट्रीय एकीकरण, समानता और आंदोलन की स्वतंत्रता को कमजोर करने का जोखिम उठाते हैं। स्थानीय आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए भारत के एकवचनीय, समावेशी नागरिकता ढांचे को बनाए रखने के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों, नीतिगत सुसंगतता और नागरिक जागरूकता को एकीकृत करने वाला एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारत में प्रांतीय नागरिकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह राष्ट्रीय नागरिकता के बजाय अधिवास के आधार पर राजनीतिक और आर्थिक विशेषाधिकार प्रदान करता है।
 2. झारखंड, जम्मू और कश्मीर और असम जैसे राज्यों ने प्रांतीय नागरिकता नीतियों का उपयोग किया है।
 3. प्रांतीय नागरिकता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 19 के साथ पूरी तरह से संरेखित है।
 4. यह मुख्य रूप से स्थानीय भावनाओं को संगठित करने के लिए मूलनिवासी राजनीति से उभरने वाली एक अवधारणा है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

विकल्प:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 4 (c) केवल 2, 3 और 4 (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: प्रांतीय नागरिकता एक राष्ट्र, एक नागरिकता के आदर्श को चुनौती देती है। भारत के संघीय ढांचे और आंतरिक प्रवासन के लिए अधिवास-आधारित राजनीति के निहितार्थों की आलोचनात्मक जांच करें। (150 शब्द)

Eight States with international borders, 0.13% of exports

When U.S. President Donald Trump signed off on an additional 25% tariffs on imports from India in August 2025, citing trade deficits, the buying of Russian crude, and retaliatory precedent, New Delhi responded with its usual posture – of measured language, closed-door diplomacy and no public retaliation. The choreography was familiar. Washington struck, India absorbed. Official narratives framed it as another episode in bilateral turbulence. But these tariffs cut along fault lines that run inside the country, not just between two capitals. What they expose is not just a trade imbalance but also a deeper spatial imbalance that New Delhi has long refused to reckon with.

India's export economy is heavily centralised. The four States of Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, and Karnataka account for more than 70% of all merchandise exports. For Gujarat alone, it is over 33%. This concentration is no accident. There has been an alignment of infrastructure, incentives, and political continuity in these zones for decades. Meanwhile, India's most populous States, Uttar Pradesh, Bihar, and Madhya Pradesh, remain on the margins, with barely 5% of the country's outbound trade between them.

A marginalisation of the northeast

Then there is the northeast, whose place in India's export economy is marginal by design. Eight States, with over 5,400 kilometres of international borders, account for just 0.13% of national exports. There is no operational trade corridor linking them to foreign markets. And, no logistical infrastructure to support volume or role in shaping policy. Instead, what exists is a security apparatus calibrated for counterinsurgency and surveillance. Trade has never been part of the mandate.

The northeast remains structurally unrepresented in the institutions that shape India's economic future. Not a single member of the Prime Minister's Economic Advisory Council hails from the region. The Board of Trade, tasked with steering India's export strategy, has no substantive voice from Mizoram, Tripura, or Arunachal Pradesh. Schemes such as Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) and the Production-Linked Incentive (PLI) are rolled out with fanfare in industrial belts stretching from Gujarat to Tamil Nadu. But the hills and the valleys of the northeast are left to navigate global markets without infrastructure, without logistics, and without institutional leverage. This is not mere bureaucratic oversight. It is a cold calculation that the region can be symbolically embraced, yet economically orphaned. As recently as 2024, the Directorate General of Foreign Trade's strategic export plan had 87 pages without a single section on the northeast's corridors. The omission was not protested. It was simply assumed.

In Assam, the tea economy is fraying. Prices stagnate, labour shortages persist, and estates are



Sangmuan Hangsing

is a researcher and alumnus of the Kautilya School of Public Policy

stretched thin. A 25% tariff hike in key western markets threatens to push margins below viability. "We're holding on with fingertips," said a Dibrugarh planter who oversees over 500 workers. "If the US [United States] and EU [European Union] buyers cut orders, we'll have to start scaling back operations immediately."

The region accounts for more than half of India's total tea output, but almost none of the high-value packaging or branding. The bulk is still CTC-grade, sold in auctions, exposed to every market swing. Buyers are in reassessment mode and cost-cutting has begun in the Upper Assam belt and the Dooars. Wages are flatlining. Inputs are thinning. The next to go will be jobs.

At Numaligarh, the refinery runs like a nervous artery through Assam's energy spine. Most of its crude still comes from Oil India and Oil and Natural Gas Corporation Limited fields nearby, but that is changing. The expansion to nine million metric tonnes per annum means that it must look outward toward Paradip, and, increasingly, toward discounted Russian cargoes.

That is where the risk brews. Washington's tariff play, framed partly as a response to India's Russian alignment, casts a long shadow here. If the next round of sanctions hardens or shipping lanes tighten, it will not show up in Mumbai's balance sheets. It will be Golaghat that will shudder.

A silent border with Myanmar, ASEAN

Since the 2021 coup in Naypyidaw, trade across the India-Myanmar frontier has thinned. Highways once envisioned as arteries of regional integration now vanish into checkpoints, chokepoints, and bureaucratic fog. Once porous and alive with exchange, the border now speaks in silence.

India's two principal gateways to Myanmar, Zokhawthar in Mizoram and Moreh in Manipur, have withered into skeletal outposts. Once central to Act East dreams, they now function more as securitised bottlenecks than trade hubs. Infrastructure remains performative – roads exist on paper, customs offices are understaffed, and cold-chain facilities are nowhere to be found. The scrapping of the Free Movement Regime in 2024 was the final blow, severing not just trade but also kinship, daily life and the interwoven economies of the hills.

Surveillance replaced commerce. These are no longer corridors of trade but containment grids, structured by counterinsurgency logic rather than market demand. Where goods do not move, troops do. And as infrastructure decays, these towns slide from economic relevance into strategic emptiness, mapped not for connectivity but for control. The border is open only to the idea of closure.

The northeast was once mapped as India's strategic region, a bridge to the Association of Southeast Asian Nations. The bridge never left the drawing board. In policy circles, trade resilience now means shifting from one product category to

another, electronics to semiconductors, textiles to pharma. Geography is not a part of the equation. The assumption is fixed – trade flows through the same corridors that served colonial ports and post-Independence industrial clusters. The northeast remains outside that frame, not by oversight, but by design.

Asia's moves, India's inertia

As China consolidates its grip over northern Myanmar through infrastructure investments, militia alliances and a growing intelligence footprint, India continues to squander its own flanks. The India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway, which begins at Moreh, now vanishes into the jungle. Surveillance, not commerce, defines India's frontier stance. Where goods do not cross, border forces do. And when movement is reduced to patrols, borderlands do not stay still; they drift toward disorder.

What is required is not reinvention but basic state function. Trade runs on roads, not rhetoric. It moves through warehouses, not white papers. In the northeast, those arteries are missing. Infrastructure is sporadic, and policy presence is thinner still. New Delhi may ink a free trade agreement with London and issue joint statements in Washington, but the substance of those agreements rarely crosses the Siliguri Corridor. The northeast remains unintegrated in both design and delivery. India effectively negotiates global trade while ignoring the geographies that could anchor it.

By treating Mr. Trump's tariffs as a passing irritant, India sidesteps the deeper structural fault – its trade economy is spatially lopsided. A flood in Gujarat or a labour strike in Tamil Nadu is enough to choke the national pipeline. That is not dispersion, it is dependence. The global chessboard has shifted. Supply chains are in motion. China is repositioning capital. Southeast Asia is building alternative corridors. India claims a role in the Indo-Pacific equation, but its export architecture still rests on a few coastal enclaves. Strategic talk rings hollow when the eastern frontier remains disconnected from the commerce map.

A state cannot claim regional heft while its eastern flank remains economically brittle. The northeast has never asked for slogans. It requires the minimum grammar of statecraft: roads that reach markets, policies that recognise geography, and governance that sees beyond electoral math. For decades, the region has been told to wait through insurgencies, ceasefires, and empty policy acronyms. But the world is moving. Trade disruptions are more frequent. Corridors are shifting. And delay now resembles design.

No single tariff will break India, but repeated regional omissions erode the idea of a cohesive economy. This is not a call for retaliation. It is a demand to reframe resilience, not as a concentration of strength, but as the ability to absorb shocks from every part of the map. Until then, the blind spot stays intact.

India is negotiating global trade while ignoring key geographies such as the northeast that could anchor a cohesive economy

GS. Paper 03- भारतीय अर्थव्यवस्था

UPSC Mains Practice Question: भारतके पूर्वोत्तर का आर्थिक हाशिए पर जाना व्यापार लचीलापन और रणनीतिक उद्देश्यों को कमजोर करता है। संरचनात्मक और नीतिगत अंतराल का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और क्षेत्रीय एकीकरण के लिए उपाय सुझाना। (150 शब्द)

संदर्भ:

भारत के पूर्व-पूर्व, जिसमें आठ अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती राज्य शामिल हैं, 5,400 किलोमीटर से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बावजूद राष्ट्रीय निर्यात का केवल 0.13% हिस्सा है। भारतीय निर्यात पर हाल ही में अमेरिकी टैरिफ न केवल द्विपक्षीय तनाव को रेखांकित करते हैं, बल्कि भारत की व्यापार अर्थव्यवस्था में गहरे संरचनात्मक असंतुलन को भी रेखांकित करते हैं। जबकि पश्चिमी और दक्षिणी औद्योगिक क्लस्टर निर्यात पर हावी हैं, पूर्वोत्तर आर्थिक रूप से हाशिए पर बना हुआ है, बुनियादी ढांचे और नीतिगत समर्थन के साथ वाणिज्य की तुलना में सुरक्षा की ओर अधिक है। यह भारत के सीमांत क्षेत्रों में एक रणनीतिक और आर्थिक भेद्यता को उजागर करता है।

प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया

1. निर्यात एकाग्रता:

- गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक व्यापारिक निर्यात में >70 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
- पूर्वोत्तर राज्यों में परिचालन गलियारों, रसद और संस्थागत प्रतिनिधित्व की कमी है।

2. आर्थिक हाशियाकरण:

- असम भारत की 50% से अधिक चाय का उत्पादन करता है, फिर भी कम मूल्य के थोक निर्यात पर निर्भर है।
- नुमालीगढ़रिफाइनरी और स्थानीय उद्योग बाहरी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर हैं, जो भू-राजनीतिक झटकों के प्रति संवेदनशील हैं।

3. सीमा और कनेक्टिविटी के मुद्दे:

- भारत-म्यांमार व्यापार गलियारे (मोरेह, ज़ोखावथर) अविकसित, नौकरशाही और सुरक्षित हैं।
- मुक्त आवाजाही व्यवस्था (2024) को खत्म करने से व्यापार और रिश्तेदारी नेटवर्क बाधित हो गया।
- भारत-आसियान एकीकरण बुनियादी ढांचे, कोल्ड चेन और कार्यात्मक राजमार्गों की कमी के कारण बाधित हुआ है।

4. रणनीतिक निहितार्थ:

- चीन उत्तरी म्यांमार के बुनियादी ढांचे में भारी निवेश करता है, जिससे उसका क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ जाता है।
- पूर्वी सीमाओं की उपेक्षा से भारत की "एक्ट ईस्ट" महत्वाकांक्षाएं कमजोर हो गई हैं, जिससे संभावित व्यापार केंद्र सुरक्षित क्षेत्रों में बदल गए हैं।

स्थैतिक संबंध

- एक्ट ईस्ट पॉलिसी (1991, विस्तारित 2014) - पूर्वोत्तर के माध्यम से आसियान के साथ आर्थिक एकीकरण पर जोर देता है।
- भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग - प्रमुख व्यापार गलियारा; अधूरी कनेक्टिविटी क्षेत्रीय वाणिज्य में बाधा डालती है।
- पीएलआई और आरओडीटीईपी योजनाएं - प्रोत्साहन योजनाएं गुजरात-तमिलनाडु औद्योगिक समूहों में केंद्रित हैं; पूर्वोत्तर को छोड़ दिया गया है।
- भू-राजनीति - म्यांमार, बांग्लादेश, चीन के साथ सीमाएं; आर्थिक अविकसितता के कारण रणनीतिक भेद्यता।
- सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन की गर्दन) - पूर्वोत्तर व्यापार के लिए एकल कनेक्टिविटी बाधा।

वर्तमान संदर्भ और विश्लेषण

- आर्थिक लचीलापन: भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था स्थानिक रूप से एकतरफा है, जो कुछ तटीय केंद्रों पर निर्भर है। अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो पूर्वोत्तर में झटके लग सकते हैं।
- श्रम और आजीविका भेद्यता: चाय बागानों, स्थानीय उद्योगों और बंदरगाह पर निर्भर क्षेत्रों को बाजार में उतार-चढ़ाव और टैरिफ जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
- सुरक्षा बनाम व्यापार: सीमाओं का सैन्यीकरण आर्थिक विकास पर निगरानी को प्राथमिकता देता है, क्षेत्रीय विकास को सीमित करता है।
- भू-राजनीतिक जोखिम: उत्तरी म्यांमार में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत को दरकिनार कर सकता है यदि कनेक्टिविटी और व्यापार गलियारे विकसित नहीं किए जाते हैं।
- नीतिगत अंतर: राष्ट्रीय व्यापार निकायों और निर्यात रणनीतियों में पूर्वोत्तर के प्रतिनिधित्व की कमी प्रणालीगत उपेक्षा की ओर ले जाती है।

आगे की राह

1. बुनियादी ढांचे का विकास - पूर्वोत्तर निर्यात के लिए राजमार्गों, सीमा शुल्क, कोल्ड चेन और रसद को मजबूत करना।
2. संस्थागत प्रतिनिधित्व - पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद, व्यापार बोर्ड और निर्यात योजना में पूर्वोत्तर हितधारकों को शामिल करें।
3. क्षेत्रीय व्यापार गलियारे - भारत-म्यांमार-थाईलैंड राजमार्ग, जोखावथर और मोरेह गेटवे का संचालन करना।
4. आर्थिक प्रोत्साहन - पूर्वोत्तर में RoDTEP, PLI और MSME सहायता योजनाओं का विस्तार करें।
5. रणनीतिक एकीकरण - यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और वाणिज्य नीतियों को मिलाएं कि सीमाएं आर्थिक रूप से उत्पादक होने के साथ-साथ सुरक्षित भी हैं।

निष्कर्ष

भारत का पूर्वोत्तर एक रणनीतिक और आर्थिक अंधा स्थान बना हुआ है, जो अपने भू-राजनीतिक महत्व के बावजूद राष्ट्रीय निर्यात और व्यापार नीति में दरकिनार कर दिया गया है। दीर्घकालिक लचीलेपन के लिए पारंपरिक केंद्रों में निर्यात को ध्यान केंद्रित करने से समावेशी, सीमा-एकीकृत आर्थिक विकास की ओर एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है। इस अंतर को पाटना न केवल आर्थिक समानता के लिए बल्कि भारत की पूर्वी सीमा और एक्ट ईस्ट महत्वाकांक्षाओं को सुरक्षित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।